सत्यमेव जयते

राजस्थान - सरकार

# वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
# 2020-2021

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,

राजस्थान, अजमेर

| क्र.स. | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्तावना | 1 |
| 2 | प्रशासनिक व्यवस्था | 2 |
| 3 | विभाग में स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों का विवरण | 3 |
| 4 | मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं विभागीय कार्य परिणाम | 4 |
| 5 | गत 3 वर्षो में राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति एवं पंजीयन हेतु प्राप्त दस्तावेजों का विवरण | 5 |
| 6 | मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण | 6 |
| 7 | भूमि कर की वसूली | 7 |
| 8 | महिलाओं के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर दी गई रियायत | 7 |
| 9 | स्टाम्प शुल्क से संबंधित अधिसूचनाओं एवं विभाग द्वारा जनहित में दी गई स्टाम्प ड्यूटी में रियायत एवं उठाये गये कदम तथा उपलब्धियों का विवरण | 8-10 |
| 10 | आलौच्य वर्ष की  विशेष पहल एवं उपलब्धि (नवाचार एवं कार्य का सरलीकरण) | 10-11 |
| 11 | स्टाम्प वेण्डरों के स्टाम्प विक्रय रजिस्टरों की मासिक जांच व वर्ष के अन्त में शेष स्टाम्प पर नए साल की मोहर लगाने के निर्देश और मुद्रांकों की मांग एवं प्रदायगी की व्यवस्था | 11-13 |
| 12 | नवीन कार्यो की योजना | 13-15 |
| 13 | प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति | 15-16 |
| 14 | विभाग में आधारभूत सुविधाओं का विवरण | 16-17 |
| 15 | स्वीकृत बजट प्रावधान एवं व्यय विवरण | 17-19 |
| 16 | विभाग के मुख्य अधिकारियों के नाम/ पदनाम/दूरभाष/ मोबाईल/फैक्स नम्बर जयपुर एवं अजमेर | 20-21 |
| 17 | अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षकों के नम्बर | 22-23 |
| 18 | राजस्थान में पूर्णकालीन उप पंजीयकों की सूची | 24-26 |
| 19 | विभाग की प्रशासनिक संरचना | 27 |
| 20 | सार - संक्षेप | 28 |

# <u>वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021</u>

**<u>प्रस्तावना</u> :-**

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908, राजस्थान पंजीयन नियम 1955, खण्ड प्रथम व द्वितीय, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 व राजस्थान स्टाम्प नियम-2004 के क्रियान्वयन का कार्य किया जाता है। यह विभाग राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

पंजीयन अधिनियम व उसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत विभागीय पंजीयन अधिकारी दस्तावेजों के पंजीयन एवम् पंजीयन सम्बंधी अन्य सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराते हैं। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर एवं अधिभार का संग्रहण किया जाता है। इस कर संग्रहण के लिये मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी, कलक्टर (मुद्रांक) एवं उप पंजीयकों की व्यवस्था है। वर्तमान में मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर तथा कलक्टर (मुद्रांक) के रूप में विभागीय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यरत है। उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के नियंत्रणाधीन पूर्णकालीन उप पंजीयक एवं पदेन उप पंजीयक कार्यरत है।

**<u>राजस्थान का पृथक स्टाम्प अधिनियम</u>** :- दिनांक 27.05.2004 से पूर्व राज्य का अलग स्टाम्प अधिनियम नहीं था। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ही लागू था। दिनांक 27.05.2004 से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 लागू किया गया है तथा इसके तहत राजस्थान स्टाम्प नियम 2004, दिनांक 11.06.2004 से लागू किये गये हैं।

**प्रशासनिक व्यवस्था :-**

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का मुख्यालय अजमेर में "पंजीयन भवन, लोहागल रोड, जनाना हॉस्पिटल के पास (सीकर रोड)" पर स्थित है। मुख्यालय पर महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर विभागाध्यक्ष हैं इनके सहयोग हेतु अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) एवं अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन), वित्तीय सलाहकार, संयुक्त विधि परामर्शी, उप विधि परामर्शी, सहायक विधि परामर्शी, उप महानिरीक्षक (कर) एवं उप महानिरीक्षक (प्रवर्तन), सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), उप वित्तीय सलाहकार, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(उप निदेशक) एवं प्रोग्रामर के पद सृजित है। अधीक्षक मुद्रांक की शक्तियां अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) को प्रदत्त है। विभाग के पास 06 आन्तरिक लेखा जांच दल स्वीकृत है तथा मुख्यालय पर 78 मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। विभाग के अधीन वर्तमान में 03 अतिरिक्त महानिरीक्षक, 20 उप महानिरीक्षकों के पद स्वीकृत है। विभाग के अधीन कुल 539 उप पंजीयक कार्यालय स्वीकृत है जिनमें से 113 पद पूर्णकालीन एवं शेष 426 पदेन उप पंजीयक कार्यालय कार्यरत है। गत वित्तीय वर्ष में महानिरीक्षक व मुख्यालय पर अतिरिक्त महानिरीक्षक पद पर निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत रहे हैं :-

| क्र.सं. | नाम व पद | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | सुश्री रेणू जयपाल, महानिरीक्षक | दिनांक 13.08.2018 से 24.09.2019 तक |
| 2 | श्री महावीर प्रसाद, महानिरीक्षक | दिनांक 25.09.2019 से लगातार |

| क्र.सं | नाम व पद | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री रामनिवास जाट, अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) | दिनांक 08.3.2019 से 09.04.2019 तक |
| 2 | सुश्री वन्दना खोरवाल, अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) अतिरिक्त कार्यभार | दिनांक 10.4.2019 से 15.09.2019 तक |
| 3 | श्री ओंकार मल, अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) | दिनांक 16.09.2019 से लगातार |

क्षेत्रीय कार्यालयो के रूप में अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन) का एक पद जयपुर में, उप महानिरीक्षक कार्यालय, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ, जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, जयपुर-तृतीय, अलवर-प्रथम, अलवर-द्वितीय, कोटा, अजमेर, पाली, भीलवाडा, भरतपुर, बांसवाडा, सीकर, बाडमेर में हैं। इसके अतिरिक्त उप महानिरीक्षक के 2 पद मुख्यालय अजमेर एवं 1 पद उप महानिरीक्षक (करापवंचन), राजस्थान विशेष वृत जयपुर के लिये स्वीकृत हैं। इन पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित किये जाते हैं।

## विभाग में स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों का विवरण :

| क्र.सं. | नाम पद | स्वीकृत पद | कार्यरत | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | महानिरीक्षक | 1 | 1 | 0 |
| 2. | अतिरिक्त महानिरीक्षक अजमेर/जयपुर | 3 | 2 | 1 |
| 3. | वित्तीय सलाहकार | 1 | 0 | 1 |
| 4. | उप महानिरीक्षक | 20 | 17 | 3 |
| 5. | संयुक्त विधि परामर्शी | 2 | 2 | 0 |
| 6. | सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) | 1 | 1 | 0 |
| 7. | उप वित्तीय सलाहकार | 1 | 1 | 0 |
| 8. | उप विधि परामर्शी | 1 | 0 | 1 |
| 9. | एनालिस्ट कम प्रोग्रामर(उप निदेशक) | 2 | 0 | 2 |
| 10. | लेखाधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 11. | प्रोग्रामर | 11 | 10 | 1 |
| 12. | सहायक विधि परामर्शी | 1 | 1 | 0 |
| 13. | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I | 6 | 2 | 4 |
| 14. | वरिष्ठ विधि अधिकारी | 2 | 0 | 2 |
| 15. | निजी सचिव | 1 | 0 | 1 |
| 16. | अतिरिक्त निजी सचिव | 3 | 1 | 2 |
| 17. | प्रशासनिक अधिकारी | 2 | 1 | 1 |
| 18. | पूर्णकालीन उप पंजीयक | 113 | 25 | 88 |
| 19. | तहसीलदार | 1 | 0 | 1 |
| 20. | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II | 15 | 14 | 1 |
| 21. | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 10 | 0 | 10 |
| 22. | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 102 | 54 | 48 |
| 23. | सहायक सॉख्यिकी अधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 24. | सहायक प्रोग्रामर | 25 | 14 | 11 |
| 25. | कनिष्ठ विधि अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 26. | निजी सहायक | 7 | 5 | 2 |
| 27. | शीघ्र लिपिक | 10 | 4 | 6 |
| 28. | कनिष्ठ लेखाकार | 11 | 5 | 6 |
| 29. | नायब तहसीलदार | 13 | 5 | 8 |
| 30. | गिरदावर | 95 | 65 | 30 |
| 31. | सूचना सहायक | 312 | 223 | 89 |
| 32. | वरिष्ठ सहायक | 215 | 69 | 146 |
| 33. | कनिष्ठ सहायक | 354 | 342 | 12 |
| 34. | वाहन चालक | 4 | 0 | 4 |
| 35. | सहायक कर्मचारी | 279 | 48 | 231 |
| | **योग** | 1627 | 914 | 713 |

**<u>मुख्य सतर्कता अधिकारी</u> :-** विभाग में कार्यरत अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, जयपुर को विभाग का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनके कार्यालय/आवास का विवरण निम्न प्रकार हैः-

| क्र.सं. | मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम व पद | कार्यालय का पता | कार्यालय का आई.पी.नं./ दूरभाष नम्बर | फैक्स नं. (कार्यालय) | निवास स्थान का पता व निवास फोन नं. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री लक्ष्मण सिंह कुडी, अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर | अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर वित्त भवन, कमरा नं. 401, चतुर्थ तल जयपुर | 0141-2740503 मोबाईल - 9414049099 | 0141-2740503 | 647 हनुमान नगर एक्सटेंशन, सिरसी रोड जयपुर |

**<u>विभागीय कार्य परिणाम</u>** :-

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की कार्य कुशलता का आंकलन मुख्य चार मापदण्डों से किया जा सकता हैः-

- विभाग के लिये निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की उपलब्धि।
- पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का तुरन्त पंजीयन करना।
- कलेक्टर मुद्रांक के पास लम्बित मुद्रांक मुकदमों का शीघ्र निस्तारण एवं बकाया वसूली।
- भूमि कर की वसूली।

**<u>राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति</u>** :-

गत 3 वर्षों में निर्धारित राजस्व लक्ष्यों एव उनकी प्राप्ति का विवरण निम्न प्रकार है-

| **वर्ष** | **वार्षिक लक्ष्य** | **प्राप्त आय (करोडो में)** | **उपलब्धि का प्रतिशत** | **गत वर्ष की तुलना में** |
|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 4050.00 | 3674.78 | 90.74 | 20.37 |
| 2018-19 | 4750.00 | 3886.03 | 81.81 | 5.75 |
| 2019-20 | 5350.00 | 4234.73 | 79.15 | 8.97 |
| 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) | 5600.00 | 3607.49 | 64.42 | 11.62 |

विभाग में गत 3 वर्षो में पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरणः-

| **वर्ष** | **विक्रय दस्तावेज** | **अन्य दस्तावेज** | **कुल दस्तावेज** |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 428216 | 1299801 | 1728017 |
| 2018-19 | 493151 | 1263565 | 1756716 |
| 2019-20 | 507304 | 1201416 | 1708720 |
| 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) | 401521 | 774122 | 1175643 |

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को वर्ष 2019-20 में 5350 करोड़ रूपये के आवंटित राजस्व लक्ष्य के विपरीत 4234.73 करोड़ रूपये की आय अर्जित हुई। वर्ष 2018-19 की तुलना में 8.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2020-21 के लिए विभाग को 5600.00 करोड़ रूपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 2020 तक कोषालय से प्राप्त आय अनुसार 3607.49 करोड़ रूपये की राजस्व आय का संग्रहण किया गया है।

**मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण** :- कलेक्टर (मुद्रांक) के यहां विचाराधीन प्रकरणों का निम्नानुसार निस्तारण किया गया :-

| वृत कार्यालय का नाम | 1.4.2020 को विचाराधीन प्रकरणों की संख्या | दिसम्बर 2020 तक दर्ज प्रकरणों की संख्या | दिसम्बर 2020 तक विचाराधीन कुल प्रकरणों की संख्या | दिसम्बर 2020 तक निस्तारित प्रकरणों की संख्या | दिसम्बर 2020 के अंत में शेष विचाराधीन प्रकरणों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| अजमेर | 934 | 372 | 1306 | 606 | 700 |
| अलवर-प्रथम | 69 | 29 | 98 | 63 | 35 |
| अलवर-द्वितीय | 221 | 97 | 318 | 76 | 242 |
| बाडमेर | 143 | 21 | 164 | 28 | 136 |
| बांसवाडा | 128 | 91 | 219 | 49 | 170 |
| भरतपुर | 166 | 540 | 706 | 215 | 491 |
| भीलवाडा | 635 | 115 | 750 | 264 | 486 |
| बीकानेर | 74 | 44 | 118 | 84 | 34 |
| हनुमानगढ | 93 | 255 | 348 | 256 | 92 |
| जयपुर-प्रथम | 577 | 317 | 894 | 283 | 611 |
| जयपुर-द्वितीय | 341 | 217 | 558 | 266 | 292 |
| जयपुर-तृतीय | 634 | 291 | 925 | 229 | 696 |
| जोधपुर | 195 | 310 | 505 | 291 | 214 |
| कोटा | 361 | 399 | 760 | 555 | 205 |
| पाली | 62 | 102 | 164 | 114 | 50 |
| सीकर | 291 | 683 | 974 | 213 | 761 |
| उदयपुर | 139 | 425 | 564 | 272 | 292 |
| योग | 5063 | 4308 | 9371 | 3864 | 5507 |

**<u>भूमि कर की वसूली</u>** :- राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 के द्वारा राज्य में भूमि कर का प्रावधान किया गया था जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 06.03.2013 के द्वारा दिनांक 01.04.2013 से भूमिकर में पूर्णतः छूट प्रदान की गई है। वित्त (कर) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.6(2) वित्त/कर/2019-88 दिनांक 19.11.2019 द्वारा विभिन्न प्रकार की खनन भूमियों पर भूमिकर की दरों का निर्धारण किया गया है। इसके पश्चात् वित्त (कर) विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 19.11.2019 को अधिक्रमित कर नवीन अधिसूचना क्रमांक एफ.6(2)वित्त/कर/2019-149 दिनांक 30.03.2020 से भूमि के प्रकार और भूमिकर की दरों का पुनः निर्धारण करते हुए भूमिकर दिनांक 01.04.2020 से लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग को रू. 300.00 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया है। जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2020 तक इस मद में रू. 44.61 करोड़ का राजस्व संग्रहित हुआ है।

| **भूमिकर** | | |
|---|---|---|
| वर्ष | लक्ष्य | वास्तविक आय (राशि करोड में) |
| 2017-18 | 10.00 | 1.33 |
| 2018-19 | 10.00 | 0.64 |
| 2019-20 | 1.00 | 1.32 |
| 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) | 300.00 | 44.61 |

**<u>महिलाओं के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर दी गई रियायत का विवरण :-</u>**

| क.स | वर्ष | पंजीबद्ध दस्तावेज | मुद्रांक कर छूट राशि (करोडों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2017-18 | 202389 | 140.69 |
| 2. | 2018-19 | 209550 | 161.79 |
| 3. | 2019-20 | 214557 | 203.29 |
| 4. | 2020-21 (दिसम्बर 2020 तक) | 175920 | 132.82 |

**<u>स्टाम्प शुल्क से संबंधित महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं में विभाग द्वारा जनहित में दी गई स्टाम्प ड्यूटी में रियायत एवं उठाये गये कदम तथा उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार हैं :-</u>**

1. MSME एक्ट 2019 की सफलता के क्रम में आगे बढ़ाते हुये, Sick(बीमार) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट एवं पंजीयन शुल्क में रियायत देने तथा ऐसे उद्योगों के नीलामी में विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना नीलामी राशि पर किये जाने की घोषणा की गयी।
2. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)वित्त/कर/2020-132 एवं एफ.4(4)वित्त/कर/2020-133 दिनांक 20.02.2020 एवं एफ.4(4)वित्त/कर/2020-134 दिनांक 20.02.2020 के द्वारा राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की स्थावर सम्पति के नीलामी विक्रय के मामलें में जारी विक्रय प्रमाणपत्र की लिखत पर स्टाम्प ड्यूटी नीलामी राशि पर प्रभारित किया गया तथा ऐसे उपक्रमों की स्थावर सम्पति के अन्तरण की लिखत पर दस हजार रूपये से अधिक प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया गया है।
3. राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)वित्त/कर/2020-128 दिनांक 20.02.2020 जारी कर जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गो की भूमि की विद्यमान दरें 20.02.2020 से पुनःअवधारित कर दस प्रतिशत घटायी गई, राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)वित्त/कर/2020-129 दिनांक 20.02.2020 द्वारा वर्ष 2020-21 की डीएलसी दरों में वृद्धि नहीं करने के निर्देश प्रदत्त किये गये।
4. राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)वित्त/कर/2020-135 दिनांक 20.02.2020 द्वारा स्थावर सम्पति के अन्तरण की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 11 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया।
5. राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिये नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड(NeSL) के पोर्टल पर ऑनलाईन निष्पादित होने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (SHCIL) के माध्यम से ऑनलाईन स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा की शुरूआत की गई। राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.2(28)वित्त/कर/2019 दिनांक 03.03.2020 जारी कर नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) के

पोर्टल पर ऑनलाईन निष्पादित होने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (SHCIL) के माध्यम से ऑनलाईन स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (SHCIL) को अधिकृत किया गया।

6. राज्य अधिसूचना दिनांक 07.04.2020 नोटिफिकेशन 2020-167 के द्वारा राजस्थान स्टेट एग्रीकलचर मार्केटिंग बोर्ड के अन्तर्गत पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में कृषि कल्याण कोष के निष्पादित 1000 करोड़ के ऋण इकरारनामें पर रियायत प्रदान की गई।
7. राज्य अधिसूचना दिनांक 22.04.2020 नोटिफिकेशन 2020-169 के द्वारा राजस्थान स्टेट कॉपरेटीव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के पक्ष में ऋण इकरारनामें पर स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी गई।
8. राज्य अधिसूचना दिनांक 29.06.2020 नोटिफिकेशन 2020-195 के द्वारा सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया द्वारा राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के पक्ष में 1000 करोड़ रूपये के लोन एग्रीमेन्ट पर स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी गई।
9. राज्य अधिसूचना दिनांक 13.08.2020 नोटिफिकेशन 2020-214 के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक द्वारा राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के पक्ष में 500 करोड रूपये के ऋण समझौते पर स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी गई।
10. राज्य अधिसूचना दिनांक 13.08.2020 नोटिफिकेशन 2020-215 के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कृषि जिंसो की खरीद के लिए ऋण लेने के लिए बैंको व वित्तीय संस्थानो के साथ राजस्थान राज्य सहकारी लिमिटेड द्वारा निष्पादित लेख्य पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी गई।
11. राज्य अधिसूचना दिनांक 13.08.2020 नोटिफिकेशन 2009-216 के द्वारा जयपुर, अजमेर, जोधपुर, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा दिनांक 31.03.2025 विद्यमान ऋणों के लिए निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी गई।

12. राज्य अधिसूचना दिनांक 14.10.2020 नोटिफिकेशन 2020-247 के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के पक्ष में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत मंजूर दस हजार रूपये तक के स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी गई।
13. राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2(31)वित्त/कर/2019-253 दिनांक 06.11.2020 द्वारा संकर्म संविदा (Works Contract) के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान करते हुए निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं:-
    - 50 लाख रूपये तक के दस्तावेजों पर - 1500 रूपये
    - 50 लाख रूपये से अधिक के दस्तावेजों पर - कान्ट्रेक्ट की राशि का 0.15 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रूपये

**<u>आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि (नवाचार एवं कार्य का सरलीकरण) :-</u>**

1. ऋण दस्तावेजों एवं कम्पनियों के अमलगमेशन/डिमर्जर से संबंधित मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिये उप महानिरीक्षक वृत अजमेर द्वितीय तथा उप पंजीयक कार्यालय अलवर तृतीय के कार्यालयों को समाप्त कर इन कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों के पदों का पुनर्गठन कर उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं कलक्टर (मुद्रांक), (करापवंचन) राजस्थान जयपुर विशेष वृत के विशेष न्यायालय के गठन के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार वित्त (कर) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(15)वित्त/कर/2014-219 दिनांक 26.8.2020 एवं वित्त (कर) विभाग के पत्रांक प.1(15)वित्त/कर/2014 दिनांक 13.10.2020 द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के तहत उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं कलक्टर (मुद्रांक), (करापवंचन) राजस्थान जयपुर विशेष वृत के विशेष न्यायालय का गठन किया गया है।
2. राज्य में मुद्रांक शुल्क के संग्रहण हेतु विभाग एवं स्टॉक हॉल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (SHCIL) के मध्य दिनांक 04.09.2019 को अनुबंध किया गया जिसके तहत आमजन को मुद्रांक शुल्क की अदायगी हेतु ई-स्टाम्प सुविधा प्रदान की जा रही है।
3. राज्य में उच्च न्यायालयों में न्यायालय शुल्क के संग्रहण हेतु विभाग एवं स्टॉक हॉल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (SHCIL) के मध्य दिनांक 01.11.2019 को अनुबंध किया गया जिसके तहत आमजन को न्यायालय शुल्क की अदायगी हेतु ई-कोर्ट फीस सुविधा प्रदान की जा रही है।

4. आमजन की सुविधार्थ एवं पंजीयन प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने हेतु विभाग द्वारा 01.04.2019 से ऑनलाइन ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर पर स्वंय अथवा ई-मित्र के माध्यम से निम्नलिखित सुविधा शुरू की गयीः-
   i. प्रॉपर्टी वैल्यूएशन
   ii. पक्षकारों से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं की फीडिंग
   iii. गवाहों से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं की फीडिंग
   iv. दस्तावेज पर लगने वाले पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी और अधिभार इत्यादि के विभाग की आय मद में भुगतान का आनॅलाइन सत्यापन सुनिश्चित करना।
   v. प्रापर्टी से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड़ करना।
   vi. उप पंजीयक कार्यालय को उपरोक्त ऑनलाइन प्रेषित करने की कार्यवाही, उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना शुरू किया गया। जिससे पक्षकारों को उप पंजीयक कार्यालय में लगने वाले समय की बचत होगी।
5. राजस्व अपवंचना के प्रयासों को रोकने के लिये विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.7(87)जन/2019/13461 दिनांक 19.06.2019 के द्वारा 25 लाख से अधिक मूल्य की अचल सम्पति के दस्तावेज का पंजीयन सम्पति के मौका निरीक्षण के बाद ही किया जाने का प्रावधान किया गया।
6. आमजन को दस्तावेजों के पंजीयन के प्रस्तुतीकरण एवं पंजीबद्ध होने की सूचना मोबाईल एस.एम.एस. के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

**<u>स्टाम्प वेण्डरों के स्टाम्प विक्रय रजिस्टरों की मासिक आधार पर जांच व वर्ष के अन्त में शेष स्टाम्प पर नए साल की मोहर लगाने के निर्देश :-</u>**

स्टाम्प वेण्डरों द्वारा स्टाम्प विक्रय करने के क्रम में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 32,33 व 34 के अन्तर्गत स्टाम्प वेण्डरों के द्वारा स्टाम्प विक्रय के संबंध में प्रावधान किये हुए है।

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 36 के अनुसार प्रपत्र-डी में स्टाम्प का स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है, जिसमें कोषालय से प्राप्त स्टाम्प की प्राप्ति, स्टाम्प विक्रय व बैंलेंस का विवरण अंकित किया जाता है। इस रजिस्टर

का, कोषालय से स्टाम्प प्राप्त किये जाने पर कोषाधिकारी से प्रमाणीकरण कराया जाता है। हर माह रजिस्टर की जांच संबंधित उप पंजीयक से भी करानी आवश्यक की गयी है।

वित्तीय वर्ष के अन्त में अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक)/उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) के कार्यालय में उक्त रजिस्टर को जमा कराया जाता है। यह आदेश जारी किए गए कि वर्ष के अन्त में विक्रय से शेष रहे स्टाम्प के स्टॉक का एवं राशि का अंकन नये वित्तीय वर्ष में रजिस्टर में कर उसका प्रमाणीकरण कार्यालय की मोहर लगाकर किया जायेगा तथा शेष स्टाम्प की पुश्त पर नए वर्ष की गोल मोहर लगायी जाती है।

इन प्रावधानों से स्टाम्प वेण्डर द्वारा स्टाम्प बैक डेट में विक्रय नही कर सकेंगे, संबंधित व्यापक दिशा निर्देश विभागीय स्तर से जारी किये गये है।

**<u>मुद्रांकों की मांग एवं प्रदायगी की व्यवस्था :-</u>**

राज्य में सभी दरों के मुद्रांकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए छःमाही मांग-पत्र मुख्यालय, अजमेर द्वारा केन्द्रीय मुद्रांक डिपो, नासिक रोड एवं भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद को भिजवाये जाते हैं। ज्युडिशियल/नोन ज्युडिशियल मुद्रांक दर रूपये 10/- तथा 20/-की सप्लाई भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद से तथा शेष नोन ज्यूडिश्यिल स्टाम्प/ज्युडिश्यिल स्टाम्प की सप्लाई नासिक रोड से सीधे ही कोष कार्यालय, अजमेर (नोडल प्वाइन्ट) को व्यक्तिगत सुपुर्दगी के माध्यम से भिजवाये जाते हैं। जिला कोषालय अजमेर द्वारा विभिन्न जिला कोषालयों को तथा जिला कोषालय द्वारा उनके अधीन उप-कोषागार को वितरण हेतु आपूर्ति किये जाते हैं। किसी जिले में किसी कोष विशेष में मुद्रांकों की अचानक कमी होने पर विभिन्न कोषागारों में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर आदान-प्रदान के जरिये अधीक्षक (मुद्रांक) द्वारा आपात् परिस्थिति में पूर्ति कराई जाती है। केन्द्रीय मुद्रांक डिपो, नासिक रोड से अनियमित आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए अजमेर कोषालय में मुद्रांकों का सुरक्षित भण्डार स्थापित किया हुआ है तथा राज्य के दूर दराज के कोषागारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संभाग मुख्यालय के कोषागारों में पर्याप्त मुद्रांक भण्डारण किया जा रहा है ताकि आपात् परिस्थिति में पूर्ति सम्बन्धित कोषागारों को निकटतम कोषालयों से करायी जा सके।

कोषालयों द्वारा मुद्रांकों का विक्रय अनुज्ञा-पत्र धारी मुद्रांक विक्रेताओं और आम जनता को सीधे ही किया जा सकता है। अनुज्ञा-पत्र धारी मुद्रांक विक्रेता आवश्यकतानुसार तहसील/उपखण्ड एवं जिला मुख्यालयों पर नियुक्त हैं। शहरी इलाको में ई-मित्र कियोस्कधारकों को स्टाम्प वेण्डर का अनुज्ञा-पत्र प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के निर्देश दिये हुए हैं। स्टाम्प की उपलब्धता ग्रामीण इलाकों में भी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से विभाग ने ग्राम सरपंच, ग्राम स्कूल मास्टर एवं अन्य उपयुक्त व्यक्तियों को स्टाम्प विक्रय का लाईसेंस जारी करने के प्रावधान किये हुए हैं एवं इस हेतु क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) को अधिकृत किया हुआ है। अनुज्ञा-पत्र धारी मुद्रांक विक्रेता एक दस्तावेज के लिए अधिकतम 50000/- रूपये तक के मुद्रांक विक्रय करने के लिए अधिकृत है। जो मुद्रांक विक्रेता ई-स्टाम्प विक्रय करने हेतु भी अधिकृत है उनके लिए एक दस्तावेज के लिये अधिकतम रूपये 1,00,000/- तक के मुद्रांक विक्रय करने के लिए अधिकृत हैं।

मुद्रांक विक्रेता को देय कमीशन की दरें सभी प्रकार के मुद्रांकों पर दिनांक 09.03.2011 से निम्न प्रकार से देय हैः-

| | | |
|---|---|---|
| 1- | रूपये 1 से 400 तक | 2 प्रतिशत |
| 2- | रूपये 401 से और अधिक रूपये | 1 प्रतिशत |

**<u>नवीन कार्यो की कार्य योजना :-</u>**

**<u>विभाग का कम्प्यूटराईजेशन</u>** :- विभाग के 539 उप पंजीयक कार्यालयों में से 527 उप पंजीयक कार्यालयों को कम्प्यूटराईज्ड किया जा चुका है। अत: विभाग द्वारा सम्पूर्ण राज्य में ऑनलाईन ई-पंजीयन के माध्यम से दस्तावेज पंजीयन का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

<u>ई- पंजीयन ऑनलाईन सॉफ्टवेयर से आमजन को सुविधायें :-</u>

- आमजन द्वारा कहीं भी और किसी भी समय सम्पत्ति पंजीकरण के लिये ऑनलाईन आवेदन तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड किये जा सकते हैं।
- ई-पंजीयन ऑनलाईन सॉफ्टवेयर पर उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और विडियो टयूटोरियल उपलब्ध करवाया गया है।

- आमजन के लिये स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की ऑनलाईन गणना की व्यवस्था।
- ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से कहीं भी और कभी भी स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क का ऑनलाईन भुगतान किया जा सकता है।
- ई-पंजीयन ऑनलाईन पंजीयन सॉफ्टवेयर पर पंजीबद्ध दस्तावेजो हेतु ऑनलाईन ई-सर्च की सुविधा और आमजन द्वारा अपने स्वयं के पंजीबद्ध दस्तावेज को डाउनलोड करने की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध है।
- क्रेता और विक्रेता की व्यक्तिगत पहचान के लिये ई-पंजीयन ऑनलाईन सॉफ्टवेयर को आधार डाटाबेस के साथ एकीकृत किया गया।
- उप महानिरीक्षक द्वारा निर्णित प्रकरण आमजन हेतु उपलब्ध।
- सम्पति की ब्लॉक चैन देखने की सुविधा।
- सम्पूर्ण राजस्थान की DLC देखने की सुविधा।
- विभाग के सभी पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालयो में दस्तावेजों के पंजीकरण के लिये आमजन के लिये अग्रिम ऑनलाईन टाईम स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध।
- दस्तावेजो के पंजीयन की ऑनलाईन प्रक्रिया और चेकलिस्ट को विभागीय वेबसाईट/पोर्टल पर उपलब्ध करवाया गया है।
- सभी प्रकार के दस्तावेजों के मॉडल विलेख प्रारूप विभागीय वेबसाईट/पोर्टल पर उपलब्ध करवाये गये है।
- जमाबन्दी में ऑटो म्युटेशन के लिये ई-पंजीयन ऑनलाईन सॉफ्टवेयर को एल.आर.सी. (लेण्ड रिकार्ड) कम्प्यूटराईजेशन डाटाबेस के साथ एकीकृत किया गया। ऑटो म्युटेशन जयपुर जिले में दिनांक 15/10/2020 से शुरू किया जा चुका है। शेष राजस्थान में शीघ्र ही शुरू किया जायेगा।
- आमजन को दस्तावेजों के पंजीयन के प्रस्तुतीकरण एवं पंजीबद्ध होने की सूचना मोबाईल एस.एम.एस. के माध्यम से उपलब्ध करवाना।
- जयपुर शहर के समस्त पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालयों में कम्प्यूटर हेल्प डेस्क की सुविधा उपलब्ध है।
- विभिन्न कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालयों में लम्बित मुद्रांक शुल्क के मामलों, उनकी वसूली, राजस्थान कर बोर्ड, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में लम्बित अपील की निगरानी के लिये ऑनलाईन डी.आई.जी. मॉड्यूल लागू किया गया। इस मॉड्यूल की मदद से उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा मामलों को ऑनलाईन

कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालयों में भेजे जा रहे है और मामलों की सुनवाई हेतु प्रतिदिन की वाद सूची भी तैयार की जा रही है।

- विभाग द्वारा 25 लाख से अधिक मालियत के पंजीबद्ध दस्तावेजों का शत् प्रतिशत एवं 25 लाख से कम मालियत के पंजीबद्ध दस्तावेजों में से 25 प्रतिशत दस्तावेजों का मौका निरीक्षण उप पंजीयक द्वारा किया जाता है। उक्त मौका निरीक्षण कार्य हेतु मोबाईल एप का डवलपमेन्ट करवाया गया है। एप के माध्यम से मौका निरीक्षण में सम्पति का latitude and longitude तथा सम्पति का फोटो भी अपलोड किया जाऐगा। साथ ही एप द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने से मौका निरीक्षण कार्य में पारदर्शिता एवं एकरूपता आयेगी। मोबाईल एप के माध्यम से पंजीबद्ध दस्तावेज में उल्लेखित सम्पति का मौका निरीक्षण कार्य चयनित करीब 100 उप पंजीयक कार्यालयों में किया जा रहा है।
- <u>ई-स्टाम्प सुविधाः-</u> राज्य में ऋण अनुबन्ध एवं बैंक गारंटी हेतु देय मुद्रांक शुल्क हेतु ई-स्टाम्प के माध्यम से डिजीटल भुगतान के संबंध में राज्य सरकार द्वारा National e-Governance Services Limited (NeSL) के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में निष्पादित होने वाले दस्तावेजों पर पक्षकारों को NeSL के माध्यम से मुद्रांक शुल्क का ऑनलाईन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए SHCIL को अधिकृत किया गया है।

**<u>सूचना का अधिकार</u>**

वित्त (कर) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आज्ञा क्रमांक प.23(16)वित्त/कर/08 दिनांक 22.11.2016 से विभाग के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये है :-

| क्र.सं | लोक सूचना अधिकारी | प्रथम अपीलीय अधिकारी |
|---|---|---|
| 1 | अतिरिक्त महानिरीक्षक, (प्रशासन) पंजीयन एवं मुद्रांक, वित्त भवन जयपुर (उनके कार्यालय के लिये) | महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर। |
| 2. | अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर। (कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर के लिये) | महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान(उनके कार्यालय के लिये) | महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर। |
| 4. | समस्त उप पंजीयक(पूर्णकालीन एवं पदेन) (उनके कार्यालय के लिये) | संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान |

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.23(16)वित्त/कर/2008 दिनांक 18.07.2018 द्वारा विभाग के लिए निम्नलिखित सहायक लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हैः-

| क्र.स. | सहायक लोक सूचना अधिकारी | लोक सूचना अधिकारी | प्रथम अपीलीय अधिकारी |
|---|---|---|---|
| 1. | उप महानिरीक्षक (प्रवर्तन) (कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर के लिये) | अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन) (कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर के लिये) | महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर |

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नोडल अधिकारी - अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन)
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑन लाईन पोर्टल हेतु नोडल अधिकारी - संयुक्त निदेशक (सिस्टम ऍनालिस्ट)

**<u>विभाग में आधारभूत सुविधाओं का विकास :-</u>**

(क) भवन निर्माण :- निम्नलिखित कार्यालयों के लिए विभागीय भवनों की व्यवस्था की जा चुकी हैः-

1. मुख्यालय भवन, अजमेर
2. केन्द्रीय अभिलेखागार, भवन अजमेर
3. उपमहानिरीक्षक कार्यालयों के भवन

    कुल भवन - 18

    विभागीय भवन में संचालित - 12

    सरकारी/अन्य भवन में संचालित - 05

    किराये के भवन में संचालित - 01

4. पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालयों के भवन : विभाग में कुल 113 पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालय स्वीकृत है। वर्तमान में 58 उप पंजीयक कार्यालय विभागीय भवन में संचालित है तथा उप पंजीयक कार्यालय चाकसू, निवाई, राजसमन्द, कोटा- I, उदयपुर-I, उदयपुर- I I को विभागीय भवन में शीघ्र ही स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। शेष उप पंजीयक कार्यालय राजकीय भवन/किराये के भवनों में संचालित है।
5. इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्कीम मद में राशि ₹ 600.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जो कि विभागीय भवन निर्माण कार्यों हेतु है। निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। माह दिसम्बर, 2020 तक राशि ₹ 120.74 लाख का व्यय हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्ष 2017-18 के बजट भाषण में घोषित 15 भवनों में से 6 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उप पंजीयक कार्यालय चाकसू, निवाई, राजसमन्द, कोटा- I, उदयपुर-I, उदयपुर- I I को विभागीय भवन में शीघ्र ही स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। उप पंजीयक भिवाडी के भवन निर्माण हेतु कार्यादेश जारी हो चुका है। उप पंजीयक सांगानेर- I, सांगानेर - II का भवन निर्माण कार्य भूमि आंवटन नहीं होने से प्रारम्भ नहीं हुआ है, जिस हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

**<u>विभाग को वर्ष 2020-21 में स्वीकृत बजट प्रावधान के विरूद्ध माह 12/2020 तक व्यय का विवरण</u>**

| बजट मद/उपमद | बजट प्रावधान 2020-21 | माह 12/2020 तक व्यय (अनुमानित) राशि लाखों में |
|---|---|---|
| 2030-स्टाम्प और पंजीकरण | | |
| **01- स्टाम्प न्यायिक** | | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | 43.43 | 0.00 |
| 101-57- स्टाम्पों की लागत | 300.00 | 267.26 |
| 102-42 प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय | 0.01 | 0.00 |
| 102-57- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय | 70.00 | 0.00 |
| योग- 01 स्टाम्प न्यायिक | **413.44** | **267.26** |

| बजट मद/उपमद | बजट प्रावधान 2020-21 | माह 12/2020 तक व्यय (अनुमानित) राशि लाखों में |
|---|---|---|
| **02 स्टाम्प न्यायिकेतर** | | |
| 001-01- निदेशन और प्रशासन | | |
| 01- संवेतन | 88.00 | 49.12 |
| 03- यात्रा व्यय | 1.25 | 0.00 |
| 04- चिकित्सा व्यय | 0.35 | 0.15 |
| 05- कार्यालय व्यय | 2.50 | 0.62 |
| 06- वाहन क्रय | 0.01 | 0.00 |
| 07- वाहन संधारण | 2.00 | 1.99 |
| 36- वाहन किराया | 3.60 | 2.31 |
| 37- वर्दियां एवं अन्य सुविधाएं | 0.02 | 0.00 |
| योग - 02-001 | **97.73** | **54.19** |
| (-) घटाइए 5:4 आनुपातिक व्यय मद 01-001 को स्थानान्तरित | 43.43 | 0.00 |
| योग 02-001 | **54.30** | **54.19** |
| 101-57- स्टाम्पों की लागत | 2000.00 | 2000.00 |
| 102-42 प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय | 0.01 | 0.00 |
| 102-57- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय | 1500.00 | 0.00 |
| योग-02- स्टाम्प न्यायिकेत्तर | **3554.31** | **2054.19** |
| **03- पंजीकरण (01)- अधीक्षण** | | |
| 01- संवेतन | 247.50 | 159.38 |
| 03- यात्रा व्यय | 2.00 | 0.53 |
| 04- चिकित्सा व्यय | 1.00 | 0.30 |
| 05- कार्यालय व्यय | 3.50 | 0.79 |
| 06- वाहन क्रय | 0.01 | 0.00 |
| 07- वाहन संधारण | 1.00 | 0.97 |
| 08- वृतिक एवं विशिष्ट सेवाएं | 20.00 | 16.60 |
| 11- विज्ञापन, विक्रय प्रचार एवं प्रसार व्यय | 10.00 | 5.08 |

| बजट मद/उपमद | बजट प्रावधान 2020-21 | माह 12/2020 तक व्यय (अनुमानित) राशि लाखों में |
|---|---|---|
| 21- अनुरक्षण एवं मरमत व्यय (मेन्टीनेन्स) | 0.01 | 0.00 |
| 29- प्रशिक्षण एवं भ्रमण एवं सम्मलेन व्यय | 2.50 | 0.00 |
| 36- वाहन किराया | 3.60 | 3.20 |
| 37-वर्दियाँ एवं अन्य सुविधाएं | 0.02 | 0.00 |
| 41- संविदा व्यय | 0.01 | 0.00 |
| 42- प्रोत्साहन राशि | 0.01 | 0.00 |
| 62- सूचना संचार एवं तकनीकी उपकरणों पर व्यय | 1.00 | 0.30 |
| योग 03- (01)- अधीक्षण | **292.160** | **187.150** |
| **03- पंजीकरण (03)- जिला संगठन (राज्य निधि)** | | |
| 01- संवेतन | 4730.00 | 3559.71 |
| 03- यात्रा व्यय | 15.00 | 10.41 |
| 04- चिकित्सा व्यय | 10.00 | 5.73 |
| 05- कार्यालय व्यय | 200.00 | 100.47 |
| 07- वाहनों का संघारण | 15.00 | 9.98 |
| 08- वृतिक एवं विशिष्ट सेवाएं | 35.00 | 17.33 |
| 09- कर/किराया एवं रायल्टी | 14.81 | 3.41 |
| 11-विज्ञापन प्रचार/प्रसार व्यय | 10.00 | 6.32 |
| 32- डिकीटल चार्जेज | 0.64 | 0.64 |
| 36- वाहन किराया | 26.40 | 11.58 |
| 37- वर्दियाँ एवं अन्य सुविधाएं | 1.03 | 0.28 |
| 41- संविदा व्यय | 202.27 | 112.79 |
| 62- सूचना संचार एवं तकनीकी उपकरणों पर व्यय | 200.00 | 62.43 |
| 72- आधुनिकीकरण सुदृढिकरण, नवीनीकरण एवं उन्न. व्यय | 0.00 | 0.00 |
| योग 03-(03) | **5460.15** | **3901.08** |
| महायोग- 2030- स्टाम्प और पंजीकरण | **9720.06** | **6409.68** |

## विभाग के मुख्य अधिकारियो के नाम/पदनाम/दूरभाष/मोबाईल नम्बर :-
## वित्त (कर) विभाग, राजस्थान, जयपुर के स्तर पर

| क्र.सं | नाम | पद | कार्यालय | मोबाईल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री अखिल अरोरा | प्रमुख शासन सचिव, वित्त | 2227664 | |
| 2. | श्री टी. रविकान्त | शासन सचिव वित्त (राजस्व) | 2227711 | |
| 3. | श्रीमती टीना डाबी | संयुक्त शासन सचिव वित्त (कर) | 2227162 | |
| 4. | श्री रमजान अली | उप विधि परामर्शी | 2227162 | 9414405627 |

## विभाग के मुख्यालय स्तर पर

| क्रसं | नाम | पद | मोबाईल | कार्यालय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री महावीर प्रसाद | महानिरीक्षक | 9461046911 | 2971201 |
| 2. | श्री ओंकार मल | अति.महानिरीक्षक (प्रशासन) | 9414317730 | 2971203 |
| 3. | रिक्त | अति.महानिरीक्षक (प्रवर्तन) | | 2971204 |
| 4. | श्रीमती आनन्द आशुतोष (अति0 कार्यभार) | वित्तीय सलाहकार | 9414232472 | 2971205 |
| 5. | सुश्री वन्दना खोरवाल | उप महानिरीक्षक (प्रवर्तन) | 9587278104 | 2971204 |
| 6. | श्रीमती अनिता चौधरी | उप महानिरीक्षक (कर) | 9414514669 | |
| 7. | श्रीमती आनन्द आशुतोष | उप वित्तीय सलाहकार | 9414232472 | 2971205 |
| 8. | श्री हरीश कुमार शर्मा | संयुक्त विधि परामर्शी | 9460179011 | 2971207 |
| 9. | रिक्त | उप विधि परामर्शी | | |

| क्रसं | नाम | पद | मोबाईल | कार्यालय |
|---|---|---|---|---|
| 10. | श्री सुनील भाटीया | सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) | 9261219972 | 2971208 |
| 11. | श्री शेरसिंह खदाव | लेखाधिकारी | 8947018106 | |
| 12. | श्री सूर्यप्रकाश दौसाया | सहायक विधि परामर्शी | 9983994488 | 2971207 |
| 13. | श्री वेदरत्न उपाध्याय | प्रोग्रामर | 9509392166 | 2971206 |
| 14. | श्रीमती संगीता रामचन्दानी | प्रोग्रामर | 9784941873 | 2971206 |
| 15. | श्री रमेश चन्द | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड I | 9462071286 | |
| 16. | श्री उमेश जोशी | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड I | 9414840833 | |
| 17. | श्री द्वारका प्रसाद सोमानी | प्रशासनिक अधिकारी | 9414399639 | 2971205 |

**विभागीय वेबसाईट : http://www.igrs.rajasthan.gov.in**

**ई-मेल : igrs@rajasthan.gov.in, फैक्स नम्बर - 0145-2971202**

## अतिरिक्त महानिरीक्षक, जयपुर/ उप महानिरीक्षकगण

| क्र. सं. | नाम | वृत्त | मोबाईल | कार्यालय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री लक्ष्मण सिंह कुडी | अति. महानिरीक्षक, जयपुर(प्रशासन) | 9414049099 | 0141-2740503 |
| 2 | श्री रामावतार गुर्जर (अति0 कार्यभार) | उप महानिरीक्षक, (करापवंचन) | 9829861071 | 0141-2209044 |
| 3 | श्रीमती प्रतिभा पारीक | उप महानिरीक्षक जयपुर-प्रथम | 9799397279 | 0141-2209046 |
| 4 | श्री भगवत सिंह | उप महानिरीक्षक जयपुर द्वितीय | 9680020677 | 0141-2209045 |
| 5 | श्री रामावतार गुर्जर | उप महानिरीक्षक जयपुर तृतीय | 9829861071 | 0141-2209044 |
| 6 | श्री भगवत सिंह राठौड | उप महानिरीक्षक अजमेर-प्रथम | 9829234488 | 0145-2627123 |
| 7 | श्रीमती संजू शर्मा | उप महानिरीक्षक अलवर-प्रथम | 9414358883 | 0144-2344634 |
| 8 | श्रीमती संजू शर्मा (अति0 कार्यभार) | उप महानिरीक्षक अलवर-द्वितीय | 9414358883 | 0144-2344634 |
| 9 | श्री उत्तम सिंह | उप महानिरीक्षक भरतपुर | 9829324062 | 05644-222297 |
| 10 | सुश्री ऋषिबाला श्रीमाली | उप महानिरीक्षक बीकानेर | 9461626261 | 0151-2226641 |
| 11 | श्रीमती श्वेता फगेडिया (अति0 कार्यभार) | उप महानिरीक्षक बांसवाडा | 9414345115 | 02962-240088 |
| 12 | श्रीमती प्रभा गौतम | उप महानिरीक्षक भीलवाडा | 9166694433 | 01482-232619 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | श्री कैलाश चन्द | उप महानिरीक्षक हनुमानगढ | 9414630961 | 01552-260778 |
| 14 | श्री महिपाल कुमार | उप महानिरीक्षक जोधपुर | 9784824668 | 0291-2556613 |
| 15 | श्री सावन कुमार | उप महानिरीक्षक पाली | 9460205745 | 02932-225091 |
| 16 | श्रीमती श्वेता फगेडिया | उप महानिरीक्षक उदयपुर | 9414345115 | 0294-2422367 |
| 17 | श्री हनुमान सिंह गुर्जर | उप महानिरीक्षक कोटा | 9588011979 | 0744-2327035 |
| 18 | श्री अनिल कुमार महला | उप महानिरीक्षक सीकर | 9928924456 | 01572-272726 |
| 19 | श्री सुरेन्द्र सिंह मीना | उप महानिरीक्षक बाडमेर | 9414481278 | 02982-222308 |
| 20 | श्रीमती अनिता चौधरी | उप महानिरीक्षक (कर), मुख्यालय | 9414514669 | --- |
| 21 | सुश्री वन्दना खोरवाल | उप महानिरीक्षक (प्रवर्तन), मुख्यालय | 9587278104 | 0145-2971204 |

# राजस्थान में पूर्णकालीन उप पंजीयकों की सूची

| क्र. सं. | जिला | पूर्णकालीन उप पंजीयक | क्र. सं. | जिला | पूर्णकालीन उप पंजीयक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | 1- अजमेर-प्रथम | 8 | बाडमेर | 1. बाडमेर |
| | | 2- अजमेर- द्वितीय | | | 2. जसौल |
| | | 3- ब्यावर | | | |
| | | 4- किशनगढ | | | |
| 2 | अलवर | 1. अलवर-प्रथम | 9 | भरतपुर | 1. भरतपुर |
| | | 2. अलवर-द्वितीय | | | |
| | | 3. बहरोड | | | |
| | | 4. भिवाड़ी | | | |
| | | 5. नीमराना | | | |
| | | 6. तिजारा | | | |
| | | 7. रामगढ | | | |
| | | 8. बहादुरपुर | | | |
| | | 9. बानसूर | | | |
| | | 10. किशनगढबास | | | |
| | | 11. कोटकासिम | | | |
| | | 12. मुण्डावर | | | |
| 3 | बांसवाडा | बांसवाडा | 10 | भीलवाडा | 1. भीलवाडा-प्रथम |
| | | | | | 2. भीलवाडा-द्वितीय |
| 4 | बारां | 1. बारां | 11 | बीकानेर | 1. बीकानेर-प्रथम |
| | | | | | 2. बीकानेर-द्वितीय |
| | | | | | 3. बीकानेर-तृतीय |
| | | | | | 4. नोखा |
| 5 | बून्दी | 1. बून्दी | 12 | जयपुर | 1. जयपुर-प्रथम |
| 6 | चित्तौडगढ | 1. चित्तौडगढ | | | 2. जयपुर-द्वितीय |
| | | 2. निम्बाहेडा | | | 3. जयपुर-तृतीय |
| 7 | चुरू | 1. चुरू | | | 4. जयपुर-चतुर्थ |
| | | 2. सुजानगढ | | | 5. जयपुर-पंचम |

| क्र. सं. | जिला | पूर्णकालीन उप पंजीयक | क्र. सं. | जिला | पूर्णकालीन उप पंजीयक |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | दौसा | 1. दौसा | | | 6. जयपुर-षष्ट्म |
| 14 | धौलपुर | 1. धौलपुर | | | 7. जयपुर-सप्तम् |
| 15 | डूंगरपुर | 1.डूंगरपुर | | | 8. जयपुर-अष्ट्म |
| 16 | हनुमानगढ | 1. हनुमानगढ | | | 9. जयपुर-नवम |
| | | 2. नोहर | | | 10. जयपुर-दशम |
| | | | | | 11. चौमू |
| | | | | | 12. आमेर |
| | | | | | 13. सांगानेर-प्रथम |
| | | | | | 14. सांगानेर-द्वितीय |
| | | | | | 15. कोटपूतली |
| | | | | | 16. बस्सी |
| | | | | | 17. चाकसू |
| | | | | | 18. जमवारामगढ |
| | | | | | 19. माधोराजपुरा |
| | | | | | 20. फागी |
| | | | | | 21. सांभर |
| | | | | | 22. शाहपुरा |
| | | | | | 23. दूदू |
| 17 | जैसलमेर | 1. जैसलमेर | 20 | कोटा | 1. कोटा-प्रथम |
| | | 2. पोकरण | | | 2. कोटा-द्वितीय |
| 18 | जालौर | 1. जालौर | 21 | नागौर | 1. नागौर |
| | | 2. भीनमाल | | | 2. मेडता सिटी |
| | | 3. सांचौर | | | 3. कुचामनसिटी |
| 19 | झालावाड | 1. झालावाड | 22 | पाली | 1. पाली-प्रथम |
| | | | | | 2. पाली-द्वितीय |
| | | | | | 3. सुमेरपुर |
| | | | | | 4. सोजत |
| | | | | | 5. बाली |
| | | | | | 6. देसूरी |
| | | | | | 7. रोहट |

| क्र. सं. | जिला | पूर्णकालीन उप पंजीयक | क्र. सं. | जिला | पूर्णकालीन उप पंजीयक |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | झुन्झुनू | 1. झुन्झुनू | 29 | प्रतापगढ | 1. प्रतापगढ |
| | | 2. नवलगढं | | | |
| | | 3. सुरजगढ़ | | | |
| 24 | जोधपुर | 1. जोधपुर-प्रथम | 30 | राजसमन्द | 1. राजसमन्द |
| | | 2. जोधपुर-द्वितीय | | | 2. नाथद्वारा |
| | | 3. जोधपुर-तृतीय | | | |
| | | 4. जोधपुर-चतुर्थ | | | |
| | | 5. जोधपुर-पंचम | | | |
| | | 6. फलौदी | | | |
| | | 7. तिवरी | | | |
| | | 8. लूणी | | | |
| | | 9. झंवर | | | |
| 25 | करौली | 1. करौली | 31 | सवाईमाधोपुर | 1. सवाईमाधोपुर |
| | | 2. हिण्डौन | | | |
| 26 | श्रीगंगानगर | 1. श्रीगंगानगर | 32 | टोंक | 1. टोंक |
| | | 2. अनूपगढ | | | 2. निवाई |
| | | 3. सूरतगढ | | | 3. मालपुरा |
| | | 4. श्रीविजयनगर | | | |
| 27 | सीकर | 1. सीकर | 33 | उदयपुर | 1. उदयपुर-प्रथम |
| | | 2. दातारामगढ | | | 2. उदयपुर-द्वितीय |
| | | 3. नीमकाथाना | | | 3. मावली |
| | | 4. श्रीमाधोपुर | | | |
| 28 | सिरोही | 1. सिरोही | | | |
| | | 2. आबूरोड | | | |
| | | 3. शिवगंज | | | |

# विभाग की प्रशासनिक संरचना

- वित्त मंत्री
  - प्रमुख शासन सचिव (वित्त)
    - शासन सचिव (वित्त)
      - संयुक्त शासन सचिव वित्त (कर)
        - महानिरीक्षक (विभागाध्यक्ष)
          - अति महानिरीक्षक (मुख्यालय) (2 पद)
            - पूर्णकालीन उप पंजीयक (113 पद)
            - तहसीलदार (1 पद)
            - नायब तहसीलदार (13 पद)
            - पदेन उप पंजीयक (426 पद)
            - निजी सचिव (1 पद)
            - सहायक सांख्यिकी अधिकारी (1 पद)
            - गिरदावर (95 पद)
            - प्रशासनिक अधिकारी (2 पद)
            - अति प्रशासनिक अधिकारी (10 पद))
            - सहायक प्रशासनिक अधिकारी (102 पद)
            - अतिरिक्त निजी सचिव (3 पद)
            - निजी सहायक (7 पद)
            - शीघ्र लिपिक (10 पद)
            - वरिष्ठ सहायक (215 पद)
            - कनिष्ठ सहायक (354 पद)
            - वाहन चालक (4 पद)
            - सहायक कर्मचारी (279 पद)
          - अति महानिरीक्षक जयपुर (1 पद)
          - वित्तीय सलाहकार (1 पद)
            - उप वित्तीय सलाहकार (1 पद)
            - लेखाधिकारी (1 पद)
            - सहा. लेखाधिकारी I (6 पद)
            - सहा. लेखाधिकारी II (15 पद)
            - कनिष्ठ लेखाकार (11 पद)
          - संयुक्त विधि परामर्शी (2 पद)
            - उप विधि परामर्शी (1 पद)
            - सहायक विधि परामर्शी (1 पद)
            - वरिष्ठ विधि अधिकारी (2 पद)
            - कनि. विधि अधिकारी (1 पद)
          - उप महानिरीक्षक (20 पद)
          - संयुक्त निदेशक(SA) (1 पद)
            - उप निदेशक (ACP) (2 पद)
            - प्रोग्रामर (11 पद)
            - सहायक प्रोग्रामर (25 पद)
            - सूचना सहायक (312 पद)

## सार-संक्षेप

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग वर्तमान में मुख्यत: राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998, राजस्थान स्टाम्प नियम 2004, पंजीयन अधिनियम 1908 एवं राजस्थान पंजीयन नियम 1955 खण्ड प्रथम व द्वितीय को प्रशासित एवं क्रियान्वयन का कार्य कर रहा है।

विभाग, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अधीन कार्यरत है। विभाग में स्टाम्प ड्यूटी के रूप में शुल्क की वसूली एवं दस्तावेजों का तत्काल पंजीयन करने के लिये 17 वृत्त कार्यालय, 113 पूर्णकालीन उप पंजीयक एवं 426 पदेन उप पंजीयक कार्यालयों में विभाजित किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये राजस्व लक्ष्य 5600 करोड़ रूपये निर्धारित है, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा माह दिसम्बर 2020 तक कुल 3607.49 करोड़ रूपये राजस्व एकत्रित किया गया है।

मुद्रांक प्रकरणों में बकाया स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट की विशेष राहत योजना जारी कर ब्याज एवं शास्ति में दिनांक 20.02.2020 से 30.06.2020 तक 25.34 करोड़ रूपये एवं दिनांक 08.07.2020 से 31.08.2020 तक 15.75 करोड़ रूपये की रियायत दी गयी। विशेष राहत योजना अवधि (10.12.2020 से 31.03.2021) में दिनांक 31.12.2020 तक कुल राशि 41.79 करोड रूपये की वसूली की गयी।

आमजन की सुविधा के लिये उठाये गये कदमों के अंतर्गत पंजीबद्ध दस्तावेजों का ऑनलाईन निरीक्षण करने एवं दस्तावेजों की प्रतिलिपि निशुल्क डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। विभाग के ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर में दस्तावेजों के प्रारूप ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये है। इन प्रारूपों के आधार पर व्यक्ति अपना दस्तावेज स्वयं तैयार कर सकता है। स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क का ऑनलाईन भुगतान ई-ग्रास के माध्यम से करने की सुविधा दी गई है। कोई भी व्यक्ति ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना दस्तावेज पंजीयन कराने के लिये अग्रिम समय बुक करवाने की सुविधा भी सभी पूर्णकालीन उपपंजीयक कार्यालयों में उपलब्ध प्रदान की गई है।

विभाग द्वारा जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की अनुपालना भिजवाई जा चुकी है।